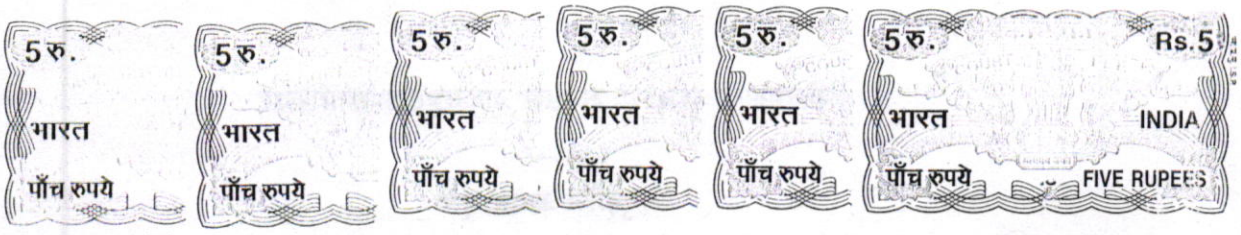

5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये | 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

(7)

निगरानी-2796/2018/रायसेन/भू.रा. प्रकरण क्रमांक : ....

01. मनमोहन आ0 हलके, वयस्क
02. मोहनलाल (मृत)
द्वारा उत्तराधिकारी –
क) संतोष, पुत्र, वयस्क
ख) रामबाबू, पुत्र, वयस्क
ग) रमेश, पुत्र, वयस्क
03. मनोज आ0 मनमोहन, वयस्क
समस्त निवासीगण – ग्राम पापड़ा,
तहसील बेगमगंज, ज़िला रायसेन .... प्रार्थीगण

विरूद्ध

01. लालसिंह आ0 रामचरण गौंड, वयस्क
02. भरत सिंह आ0 करोड़ी गौंड, वयस्क
03. चम्पालाल आ0 रमेश, वयस्क
04. लक्ष्मण आ0 मरिया, वयस्क
05. मेहबूब आ0 परमसुख, वयस्क
समस्त निवासीगण – ग्राम पापड़ा
तहसील बेगमगंज, ज़िला रायसेन
06. मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर, ज़िला रायसेन ....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 28.03.2018 , जो प्रकरण क्र. 86/निगरानी/2012–13 में न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित किया गया।

महोदय

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/02796/2018/रायसेन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-6-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के आदेश दिनांक 28-3-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूमिहीन व्यक्तियों को बंटित की गई भूमि पर आवेदकगण का अवैध अतिक्रमण किया गया है । आवेदकगण द्वारा अवैध अतिक्रमण न हटाते हुए अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समय बाह्य अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश को कलेक्टर द्वारा इस आधार पर निरस्त किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि चरोखर निस्तार मद से काबिल काश्त मद में परिवर्तित की जाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित की गई है, जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अधिकारिता विहीन अपील को स्वीकार करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया गया है । अत: कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर स्वयं स्थल निरीक्षण उपरांत प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमण कर्ताओं के विरूद्ध तत्काल बेदखली की कार्यवाही करने के विधिवत निर्देश दिये गये हैं । कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा भी कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस सम्बन्ध में 2005 आर.एन. 178 अमरीबाई विरूद्ध मांगीलाल में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :- "धारा 50- निचले दो न्यायालयों के समरूप निष्कर्ष-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।" उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	